न्यायालय सहायक कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/तहसीलदार, सदर, वाराणसी।

वाद संख्या– 186/410 सन् 2013
रिपोर्ट लेखपाल ------------ बनाम ------------हिन्दुस्तान कोका कोला कम्पनी प्रा0लि0
वाद संख्या– 411 सन् 2013
रिपोर्ट लेखपाल ------------ बनाम ------------हिन्दुस्तान कोका कोला कम्पनी प्रा0लि0
वाद संख्या– 433 सन् 2013
रिपोर्ट लेखपाल ------------ बनाम ------------हिन्दुस्तान कोका कोला कम्पनी प्रा0लि0
वाद संख्या– 256 सन् 2013
रिपोर्ट लेखपाल ------------ बनाम ------------हिन्दुस्तान कोका कोला कम्पनी प्रा0लि0

अन्तर्गत धारा– 122बी0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम। ग्राम मेंहदीगंज परगना कसवार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी।

निर्णय

क्षेत्रीय लेखपाल ने राजस्व निरीक्षक के माध्यम से इस आशय की रिपोर्ट दिया है कि प्रतिवादी हिन्दुस्तान कोका कोला कम्पनी प्रा0लि0, मेंहदीगंज, वाराणसी ने गांवसभा के भूखण्ड संख्या– 2425 रकबा 0.012 हे0 एवं मि0 2632 रकबा 0–020 हे0, मि0 2633 रकबा 0–016 हे0, मि0 2625 रकबा 0–020 हे0, मि0 2461 रकबा 0–065 हे0, 2464 रकबा 0–030 हे0, 2462 रकबा 0–008 हे0, 2634 रकबा 0–008 हे0 एवं 2423 रकबा 0–049 हे0 पर अनाधिकार रूप से कब्जा दखल कर गांवसभा को क्षति पहुंचायी है। अतः उन्हें धारा–122बी0 के अन्तर्गत उक्त आराजी से बेदखल कर गांवसभा का कब्जा दखल कराया जाय तथा प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति वसूल किया जाय।

नियमानुसार नोटिस 49क की पर्याप्त तामीला के पश्चात् प्रतिवादी हाजिर अदालत आया तथा उसकी ओर से इस आशय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वाद संख्या– 186/410, 411, 433 एवं 256 को एकजाई किया जाय। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर वाद संख्या– 186/410, 411, 433 एवं 256 को एकजाई किया गया तथा वाद संख्या 186/410 को अग्रणी वाद मानते हुए कार्यवाही की गयी। दौरान मुकदमा प्रतिवादी वाद की कार्यवाही से विरत हो गया तथा उसकी ओर से नोटिस का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि चकमार्ग, नाली व भीटा आदि के रूप में सुरक्षित होकर सम्पत्ति गांवसभा है। साक्ष्यों से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी के अबैध कब्जे की पुष्टि होती है। ऐसी दशा में प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर गांवसभा का कब्जा दखल कराने के साथ ही प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति वसूल किया जाना पूर्णतया न्याय संगत एवं औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रतिवादी हिन्दुस्तान कोका कोला कम्पनी प्रा0लि0, मेंहदीगंज परगना कसवार राजा वाराणसी को विवादित आराजी नम्बर 2425 रकबा 0.012 हे0 एवं मि0 2632 रकबा 0–020 हे0, मि0 2633 रकबा 0–016 हे0, मि0 2625 रकबा 0–020 हे0, मि0 2461 रकबा 0–065 हे0, 2464 रकबा 0–030 हे0, 2462 रकबा 0–008 हे0, 2634 रकबा 0–008 हे0 एवं 2423 रकबा 0–049 हे0 से बेदखल कर गांवसभा का कब्जा दखल कराया जाय तथा प्रतिवादी से क्षति स्वरूप मु0 1,24,590/– व निष्पादन व्यय 5/– वसूल हो। तदनुसार नोटिस 49ग जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16.12.13
स0क0(प्र0श्रे0)/तहसीलदार,
सदर, वाराणसी।